सत्यमेव जयते

सं. 1(4)/2021-पी&पीडब्ल्यू(एच)-7223

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

8 वीं मंजिल, बी-विंग,
जनपथभवन, जनपथ,
नईदिल्ली-110001
दिनांक: 22 जून, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: - पेंशन संवितरण बैंकों द्वारा हर महीने पेंशन पर्ची जारी किया जाना।

पेंशनभोगियों के लिए 'जीवन की सुगमता' सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 15.06.2021 को सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीपीपीसी (केंद्रीकृत पेंशन संदाय केन्द्रों) के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन का ब्यौरा प्रदान करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैंक इस कल्याणकारी उपाय को शुरू करने के विचार से प्रभावित हुए, क्योंकि पेंशनभोगियों को आयकर, महंगाई राहत संदाय, महंगाई राहत बकायों आदि के संबंध मेंयह सूचना आवश्यक होती है। सभी बैंकों ने इस सुझाव का स्वागत किया और यह सूचना प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दी।

2. तदनुसार, अधोहस्ताक्षरी को सभी पेंशन संवितरण बैंकों से यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि पेंशनभोगियों को पेंशन संदाय करने के पश्चात उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेलपर भी (जहां उपलब्ध हो) पेंशन पर्ची जारी की जाए। बैंक एसएमएस और ईमेल के अतिरिक्त सोशल मीडिया ऐप व्हाटसप आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। पेंशन पर्ची में जमा राशि और कर-कटौती, यदि कोई हो, आदि के ब्यौरों के साथ मासिक पेंशन के पूरे ब्यौरे होने चाहिए।

3. पेंशन संवितरण बैंकों के सभी केंद्रीकृत पेंशन संदाय केन्द्रों से अनुरोध है कि पेंशनभोगियों के 'जीवन की सुगमता' में सुधार लाने के लिए उपरोक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(नरेश भारद्वाज)
भारत सरकार के उपसचिव
टेलीफोन: 23350020

सेवा में,

1. सभी पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. सभी पेंशन संवितरण बैंकों के केंद्रीकृत पेंशन संदाय केंद्र

सूचनार्थप्रति:

1. माननीय राज्यमंत्री (पीपी) के निजी सचिव
2. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली